

5²/₂₄

वकील वादीगण उपस्थित नहीं।

वादीगण स्वयं भी उपस्थित नहीं। इनकी अनुपस्थिति
बाबत कोई कारण भी पेश नहीं हुआ। बार-बार
भावाज लगवाई गई। अतः यह वाद-पक्ष अदालत
पैरवी अदालत हणरी में खारिज किया जाया है।
पहिली शिर्षय में बुनार की जाकर
नम्बर से काम हो गया तबलीव तकमिल हुकर
दाखिल दाखर हो।